न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—104 सन् 2010

पवित्री देवी.....वादिनी

बनाम

छेदी महतो वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक— 12.01.2022

उभय पक्ष अनुपस्थित है। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादिनी की ओर से दिनांक 11.03.2019 को आदेश दिनांक 21.01.2016 को रिकॉल करने हेतु दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादिनी ने आवेदन में कहा है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 21.01.2016 को वादो का साक्ष्य बंद हो गया है। वादी की ओर से कागजात प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन दाखिल हुआ वो वादिनी के लोक दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करने का आवेदन स्वीकार किया गया वो वादिनी का साक्ष्य बंद किया गया। वादिनी की ओर से दिनांक 21.01.2016 से काफी पूर्व दिनांक 14.09.2012 को असल मालगुजारी रशीद चार फर्द वो खतियान 16 फर्द दाखिल हुआ है। जिसे प्रदर्श अंकित करने हेतु वादी ने दिनांक 21.01. 2016 को निवेदन किया परंतु खतियान को बतौर लोक दस्तावेज प्रदर्श अंकित करते हुए वादी के साक्ष को बंद करते हुए दिनांक 18.02.2016 का प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया। वादी की ओर से पूर्व में भी एक आवेदन दिनांक 12.04.2017 को दाखिल कर साक्ष्य को बंद करने के आदेश को रिकॉल करने का निवेदन किया गया जिसका प्रतिउत्तर भी दिनांक 21.06.2017 को प्रतिवादी

के द्वारा दाखिल किया गया। परंतु आवेदन प्रचालित नहीं किया गया। दरअसल उस प्रतिवादी की ओर से भी मालगुजारी रशीद का प्रति पूर्व में दिनांक 24.11.2011 को पूछा महतो के नाम से लगान रशीद खाता सं0 124, 125 वर्ष 1988, 1992 वो 2005 दाखिल हुआ है। परंतु प्रतिवादी ने उसे प्रदर्श अंकित नहीं कराया कि प्रतिवादी द्वारा मालगुजारी रशीदों को प्रदर्श अंकित करने के बाद वादी को अपने ओर से दाखिल रशीदों को प्रदर्श अंकित करना आवश्यक नहीं रह जाता। वादी के द्वारा दाखिल मालगुजारी रशीद मान्य दस्तावेज है। उसे फार्मल प्रूफ वेब करते हुए प्रदर्श अंकित किया जाए। यदि दाखिल मालगुजारी रशीदों को प्रदर्श अंकित करने में प्रतिवादी समन प्रदान नहीं करते हैं वो न्यायालय को फर्मल प्रूफ वेब करने में कठिनाई हो वादी के साक्ष्य करने के बाबत पारित आदेश दिनांक 21.02.2016 को रिकॉल किया जाए। वो वादी के द्वारा दाखिल मालगुजारी रशीद चार फर्द बनाम पूछा महतो रशीद सं0 89398, 89399 दिनांक 27.01.2010 वो रशीद सं0 306451 वो 306452 वर्ष 2010–11 को वादी को बजरिये औपचारिक साक्षी है। प्रदर्श अंकित किया जाए कि वादी को अन्य कोई साक्ष्य नहीं देते है।

प्रतिवादी की ओर से दिनांक 06.04.2019 का उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी ने दिनांक 18.02.2019 को एक आवेदन देते हुए मालगुजारी रशीद प्रदर्श अंकित हेतु बंद किए साक्षी के आदेश को रिकॉल करते हुए औपचारिक साक्षी प्रस्तुत करने का आवेदन दिया था। जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 11.03.2019 को वादी के द्वारा दाखिल किया गया है। जिसका प्रचालित नहीं कर वादी ने पुनः उसी आशय का एक आवेदन दिनांक 11.03.2019 को दाखिल किया कि उसके साक्ष्य जो दिनांक 20.02.2016 को बंद किया गया। उसे

वापस लेते हुए लगान रशीद प्रदर्श करने की अनुमति दिया जाए। वादी दिनांक 21.02.2016 के आदेश को 2019 में वापस करने का आग्रह किया जो किसी भी दृष्टिकोण से यथाचित नहीं है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी का भी साक्ष्य समाप्त किया जा चुका है और बहस भी समाप्त हो चुका है। वादी के ओर से जवाबी बहस चल रही है। वादी ने अपने आवेदन में केवत तर्कसंगत कारण रिकॉल करने हेतु नहीं दिया है। जिसके कारण उनके आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः दिनांक 18.02.2019 एवं 11.03.2019 को दिया गया आवेदन खर्चा के साथ खारित किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु नियत है। दिनांक 13.02.2019 को प्रतिवादी की ओर से पूर्ण बहस किया जा चुका है और वादी को बहस करने हेतु आवेदन प्रदान किया गया परंतु 18.02.2019 को वादी की ओर से प्रदर्श अंकित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। पुनः यह आवेदन 11.03.2019 को आदेश दिनांक 21.01.2016 को रिकॉल करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी की ओर से दिनांक 18.02.2019 के आवेदन का प्रतिउत्तर भी 11.03.2019 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि उभय पक्षों की ओर से बहस पूर्व पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा सुना गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी को पुनः बहस प्रारंभ करने के पूर्व दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल रिकॉल आवेदन दिनांक 11.03.2019 को 1000/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है और वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेजों को नियमानुकूल तरीके से प्रदर्श अंकित कराए।

आदेश दिनांक 21.01.2016 को रिकॉल करते हुए वादी का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है।

वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान कर अग्रिम कार्यवाही हेतु।

वाद दिनांक 05.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।